सर्वोच्च प्राथमिकता/ समयबद्ध

सख्या 121/66-06-94/06

प्रेषक,

श्री योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव/ सचिव
लोक निर्माण, पचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण तथा बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर,2006

विषय :- वर्ष 2007-08 की समग्र ग्राम्य विकास योजना हेतु ग्रामों के चयन एवम् कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्या 1996/ 66-2003 दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 एवम् शासनादेश 1046/66-2006-181ए0जी0वी0वी0/03 भाग-3 दिनांक 19 जुलाई,2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये चयनित समग्र ग्रामों (समग्र ग्राम से तात्पर्य राजस्व ग्राम से है) की सूची मा0 विधानसभा/विधानपरिषद सदस्यों तथा मा0 ब्लाक प्रमुखो एवम् जिला पचायत सदस्यो से प्राप्त कर दिनांक 31 जनवरी, 2007 तक अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय तथा उक्त चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण के उद्देश्य से सम्बन्धित कार्यदायी विभागो के जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रम/कार्यक्रमों की कार्ययोजना बनाकर (जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वियन की विस्तृत रणनीति पारिभाषित हो) सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात सम्बन्धित जिलाधिकारियो द्वारा समस्त कार्यक्रमों की एक सकल कार्ययोजना पूर्व निर्धारित रूपपत्रों पर तैयार करायी जाय और उसकी एक प्रति प्रत्येक दशा मे दिनाक 28 फरवरी, 2007 तक अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि शासन स्तर से उक्त कार्ययोजना को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 15 मार्च,2007 तक औपचारिक अनुमोदन/आदेश प्रसारित किया जाना सम्भव हो सके।

3- उक्त योजना के विभिन्न कार्यक्रमों की सकल कार्ययोजना बनाने के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी एवम् मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग योजना के विभिन्न कार्यकमों के जनपद स्तर पर गुणवत्तायुक्त कार्यान्वियन हेतु उत्तरदायी होंगे।

.............................2

4– वित्तीय वर्ष 2007–08 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग का होगा।

5– वर्ष 2007–08 के लिये चयनित समग्र ग्रामों का संतृप्तीकरण 1 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ किया जायेगा और उक्त ग्रामों को समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत निर्धारित समस्त कार्यक्रमों से एक वर्ष में संतृप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश इस वित्तीय वर्ष के लिये भी लागू माने जायेंगे।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 1926 (1)/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन
4– प्रमुख सचिव, वित्त/ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5– समस्त संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,

(राजनाथ)
अनुसचिव